



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2924]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941

No. 2924]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

का.आ. 3191(अ).—केंद्रीय सरकार, नोटेरी नियम, 1956 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों के संबंध में उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए दो और अधिकारियों अर्थात्, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के श्री टी.के. मलिक, उप विधि सलाहकार और श्री प्रवीण श्रीवास्तव, उप विधि सलाहकार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

[फा. सं. एन-15011/34/2019-डीएलए(एन)]

ज़ोया हाडके, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2019

S.O. 3191(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Notaries Rules, 1956, the Central Government hereby designates two more officers, namely, Shri T.K. Malik, DLA and Shri Praveen Srivastava, DLA in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice as competent authority, for the purposes of the said rules in relation to notaries to be appointed by the Central Government.

[F. No. N-15011/34/2019-DLA (N)]

ZOYA HADKE, Addl. Secy.